

कार्यालय भूमि अधिपति अधिकारी नगर विकास प्राधिकरण राजकोटा राज्य
जयपुर विकास प्राधिकरणभवन

क्रमांक: भू. अ. / ना. व. / 91 /

दिनांक: 13.6.91

विषय :- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्वों के निर्पेक्ष व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास की भूमि अधिपति बाबत प्रथम राय नगर योजना

सूचकांक नम्बर :-

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. 468/88 | 17. 305/88 |
| 2. 476/88 | 18. 306/88 |
| 3. 488/88 | 19. 307/88 |
| 4. 289/88 | 20. 308/88 |
| 5. 290/88 | 21. 448/88 |
| 6. 291/88 | 22. 449/88 |
| 7. 293/88 | 23. 479/88 |
| 8. 294/88 | 24. 477/88 |
| 9. 295/88 | |
| 10. 296/88 | |
| 11. 297/88 | |
| 12. 298/88 | |
| 13. 299/88 | |
| 14. 300/88 | |
| 15. 301/88 व 304/88 | |
| 16. 302/88 | |

रजि. ए.
नगर विकास प्राधिकरण
जयपुर

अ वा ई

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि अधिपति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अधिपति अधिनियम 1974 1984 का केन्द्रीय भूमि अधिनियम संख्या - 1 का धारा 4(1) के तहत क्रमांक 4-5/15/नविआ/87 दिनांक 6-1-88 का गजट प्रकाशन राजस्थान राजपत्र 7 जुलाई 1988 को प्रकाशित करवाया गया।

भूमि अधिपति अधिकारी द्वारा 5 ए की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भूमि अधिपति अधिनियम की धारा 6 का गजट प्रकाशन क्रमांक 4-5/15/नविआ/3/87 दिनांक 28.7.89 का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र 31 जुलाई 1989 को किया गया।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन करवाया गया उसमें ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोत्यावास तहसील सांगानेर जयपुर में अवाप्तिधीन भूमि की स्थिति निम्न प्रकार बताई गई है।

क्र.सं.	मुकदमा नं.	खसरा नं०	अवाप्तिधीन भूमि का रकबा बी. बि.	यातेदार/हितदार का नाम
1.	2.	3.	4.	5.
1.	468/88	228	02-13	छोतर, सोहन, मान्या, पिता मोहरू कौम हरियाणा ब्राह्मण
		229	00-14	
		231	01-11	
		243	01-02	
		332	03-15	
			09-15	
			=====	
2.	476/88	295	03-15	कल्याण, पुत्र परसरा 1/2 रामली बेवा रामू 1/2 याती सा. देह
		310	03-14	

			07-09	
			=====	
3.	488/88	354	0-17	सुवा, कल्याण पिता नाथू 2/3 हनुमान पु. रामसहाय 1/3 कौम हरियाणा ब्राह्मण
		357	00-03	
		358	00-02	
		359	02-10	
		373	05-00	
			08-12	
			=====	
4.	289/88	79	04-16	बूढ़ी, चन्दा, रूपनारायण श्री कि शन पि. शयो- बक्स कौम हरियाणा ब्राह्मण सा. देह
		80	03-10	
		82	00-01	
		209	00-11	
		211	00-07	
		212	06-15	
		213	00-03	
		214	00-03	
		408	00-02	
		409	20-05	

012
84
सादी

1.	2.	3.	4.	5.

		मुक्दमा नं. 289 का योग	36-13	
			=====	
5.	290/88	81	02-02	जगन्नाथ पुत्र गणेश कौम
		84	02-15	हरियाणा ब्राह्मण
		85	00-10	
		86	00-01	

			05-08	
			=====	
6.	291/88	83	00-03	जगन्नाथ पुत्र गणेश 1/2 बुद्धी, चंदाराम, नारायण, श्रीकिशन पि. श्यामबका हि. 1/2 कौम हरियाणा ब्राह्मण सा. देह
7.	293/88	88	02-14	भेरू, पुत्र रामनाथ 1/3 रामनाथ, सुधा, कल्याण पि नाथ 1/3 रामनाथपुत्र दयाल हि. 1/3 कौम हरियाणा ब्राह्मण सा. देह
8.	294/88	89	00-02	नारायण गणेश पिता मोहरू हि. 1/6 कल्याण रामकि- शन पु. गोविन्दा 1/6 गोविन्दा पुत्र सुधा 1/3 भेरू पु. रामनाथ 1/3 हरियाणा ब्राह्मण सा. देह
9.	295/88	90	02-1 3	पुरा पु. काना कौम हरि- याणा ब्राह्मण
		91	03-08	रामकि शौर, रामनारायण,
		92	00-03	चुन्नी लाल, आनन्दी लाल,
		93	03-04	गोविन्द राम, पि. पुरा
		353	07-01	कौम हरि. ब्राह. सा. देह

			13-16	

	296/88	94	01-12	भेरू पु. रामनाथहि. 1/2
		99	01-12	मोहरू पुत्र बालू हि. 1/2
		111	03-15	कौम हरियाणा ब्राह्मण स
		115	00-03	देह
		116	02-10	
		127	01-03	

OLC 8/10

भारत विभाजन
आयुर्वेद

1.	2.	3.	4.	5.
		129	1-04	
		138	2-09	
		140	1-1 4	
		142	1-05	
		104	4-02	
		1 06	00-03	
		1 07	3-0 ⁵	

			24-1 4	
			=====	
11.	297/88	95	1-06	जगदीश चौधुरि पि. गोपी कोम हरियाणा ब्राह्म. सा. देह.
12.	298/88	96	0-01	भेरू पु. रामनाथ हि. 1/3 जगदीश चौधुरि पि. गोपी 1/6 भूल, नारायण, पि. महादेव 1/6 कोम हरि. ब्राह्म. सा. देह
13.	299/88	97	0-15	धासी पुत्र दयाला, कोम हरिय
		133	3-0 ⁹	ब्राह्म. सा. देह

08.			4-04	
			=====	
14.	300/88	98	0-1 7	हनुमान पुत्र दयाला कोम हरिय
		103	1 -15	ब्राह्मण
		125	00-04	
		128	2-17	

			05-13	

15.	302/88	101	0-05	राम पुत्र रामकिशन हि. 1/6
		102	1-03	मु. 0 ^{वे} ग रेमा बेवा छोद 1/6
		112	2 -10	रामनाथ, धासी पि. दयाला हि. 1/3
		119	00-03	भेरू पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/6
		120	00-05	मोहरू पुत्र बाबू हिस्सा 1/6
		131	00-03	हरियाणा ब्राह्मण सा. देह

			04-09	
			=====	

one 8/1

1°	2°	3°	4°	5°
16°	301/88	100	1-13	रामू पु. रामकिशन 1/2
		108	02-07	मु. गोमा बेवा छोट हि. 1/2
	304/88	113	04-09	कौम हरियाणा ब्राह्म. सा. देह
		117	01-12	
		118	00-15	
		122	01-01	
		130	01-01	
		135	00-02	
		136	01-09	
		137	00 02-14	
		139	01-07	

				18-10
			=====	
17°	305/88	109	01-09	धासी पु. दयाला, हरसहाय,
		110	01-13	गोविन्दा पि. रूनाथ कौम हरि
		114	02-07	याणा ब्राह्मण सा. देह
		121	00-03	

			05-12	
			=====	
18°	306/88	123	00-01	रामकिशन पुत्र रोड हरियाणा ब्राह्मण सा. देह
19°	307/88	124	00-01	नाथ पु. आनन्दा कौम हरियाणा ब्राह्मण सा. देह
20°	308/88	126	00-05	भेरू पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/2 मोहरू पुत्र बालू हिस्सा 1/2 रूनाथ, धासी पि. दयाला 1/2 कौम हरियाणा ब्राह्मण सा. देह
21°	448/88	143	00-02	मोहरिया पुत्र देवा जाति बलाई सा. देह

9c

1.	2.	3.	4.	5.
22.	449/88	144	02-15	शंकर पु. देवा कौम माली सा. देह
23.	479/88	302 303 304 314	03-18 01-00 01-11 03-11	चंदाराम, स्वरूप, गोविन्दा पि. हरनाहिस्सा 1/2 शंकरा राम पुत्र नाथु राम बिस्सा 1/2 कौम खाती सा. देह
			1 0-00	
24.	477/88	296 311 312	00-17 05-16 03-00 09-13	हरला पु. महादेव कौम खाती सा. देह

मुद्दम नं. 468/88 खसरा नं. 228 रकबा 2 बीधा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 229 रकबा 14 बिस्वा खसरा नं. 231 रकबा 1 बीधा 11 बिस्वा खसरा नं. 243 रकबा 1 बीधा 2 बिस्वा, खसरा नं. 332 रकबा 3 बीधा 15 बिस्वा

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 228, 229, 231, 243, 332, छीतर सोहन मान्या, पिता मोहरू कौम हरियाणा ब्रह्मण सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 13.11.90 को जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हल्कीया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान द्वारा नोटिस लेने से इन्कार करने पर दो गवाहन के समक्ष नोटिस की एक परत चरपादगी से तामील करवायी गयी। लेकिन खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। धारा 9 व 10 के नोटिस जरिये तामील कुनिन्दा व रजिस्टर्ड ए. डी. द्वारा दिनांक 4.4.91 को जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हल्कीया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारा के नोटिस लेने से इन्कार करने पर दो गवाहन के समक्ष नोटिस की एक परत चरपा की गयी तथा डाकधर की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान ने रजिस्टर्ड ए. डी. लेने से इन्कार किया जो वापस प्राप्त हुई जो शामिल मिसल है। तत्पश्चात धारा 9 व 10 के नोटिस का प्रकाशन दिनांक 18.4.91 को दैनिक नव ज्योति व नव भारत टाईम्स दो समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया गया। बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

मुकदमा नं. 688 476/88 खसरा नं. 295 रकबा 3 बीधा 15 बिस्वा
खसरा नं. 310 रकबा 3 बीधा 14 बिस्वा

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 295, 310 कल्याण पुत्र परसा 1/2 रामली बेवा रामू हिस्सा 1/2 जाति खाती सा. देह के नाम पर खातेदारी दर्ज है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 14.11.90 को जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हल्कीया रिपोर्ट के अनुसार नोटिस खातेदार के व्यस्क भाई को दे कर तामील करवाये गये। इसके बाद पुनः दिनांक 4.4.91 को जरिये तामील कुनिन्दा व रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस धारा 9 व 10 के जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हल्कीया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान द्वारा इन्कार करने पर नोटिस दो गवाहीन के समक्ष चरपा किया गया एवं डाक्टर की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट प्राप्त होने से इन्कार करने पर लौटाई गयी जो शामिल मिसल है। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। तदुपरान्त दिना 18.4.91 को धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन दैनिक नव ज्योति समाचार पत्र एवं नवभारत टाइम्स समाचार पत्र में कराया गया। इस पर खातेदारान/हितदारान की ओर से श्योजी राम पुत्र कल्याण सहायक दिन 25.4.91 को उपस्थित हुआ एवं एक प्रार्थना पत्र पेश कर समय चाहा एवम जो दिया गया लेकिन आगामी तारीख पेशी पर न तो उपस्थित हुआ और न ही कोई कोम पेश किया। अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लौटाई गयी।

मुकदमा नं. 488/88 खसरा नं. 354 रकबा 17 बिस्वा, 357 रकबा 3 बिस्वा, 358 रकबा 2 बिस्वा खसरा नं. 359 रकबा 2 बीधा 10 बि
खसरा नं. 373 रकबा 5 बीधा 00 बिस्वा

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 354, 357, 358, 359, 373 सुआ, कल्याण पिता नाथू हिस्सा 1/3 हनुमान पुत्र रामसहायक हिस्सा 1/3 कौम हरियाणा ब्राहमण के नाम पर खातेदारी में दर्ज है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 14.11.90 को जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हल्कीया रिपोर्ट के अनुसार खातेदार व समिति का नोटिस खातेदार सुआ को दे कर तामील करवाया गया। बावजूद तामील खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये जिस पर दिनांक 4.3.91 को पुनः रजिस्ट्री ए.डी. धारा 9 व 10 के नोटिस जारी किये गये। डाक्टर की रिपोर्ट के अनुसार प्राप्तकर्ता को रजिस्टर्ड ए.डी. प्राप्त हो गयी है जिसकी पावती रसीद शामिल मिसल है। तदुपरांत राष्ट्रदूत एवं दैनिक नव ज्योति समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिस का प्रकाशन दिनांक 6.4.91 को कराया गया। इस पर खातेदारान/हितदारान की ओर से पुनम चंद अजमेरा उपस्थित हुआ और मौखिक निवेदन किया कि वह भूमि नहीं देना चाहता तथा उन्हें कोई उपस्थित नहीं हुआ/अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लौटाई गयी।

मुकदमानं. 289/88 खसरा नं. 79 रकबा 4 बीधा 16 बिस्वा, खसरा नं. 80 रकबा 3 बीधा 10 बिस्वा, खसरा नं. 82 रकबा 6 बिस्वा खसरा नं. 209 रकबा 11 बिस्वा खसरा नं. 211 रकबा 7 बिस्वा

वे

खसरा नं०. 212 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं०. 213 रकबा 3 बिस्वा,
214 खसरा नं०. रकबा 3 बिस्वा, 408 ख.नं. 2 बिस्वा व 409 ख.नं. रकबा
20 बीघा 5 बिस्वा :-

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं०. 79, 80, 82, 209, 211, 212,
213, 214, 408, 409, बट्टी, चन्दा, रूपनारायण श्री कृष्ण पि. शयोबक्स कौम
हरियाणा ब्राह्मण सा.देह. के नाम द्वय पर खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि
अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत दिनांक 31.10.90 को नोटिस
जारी किया गया जो तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार स्वयं खातेदार को
तामील कराये गये दिनांक 31.1.91 को जरिये तामील कुनिन्दा पुनः नोटिस
जारी किये गये तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस न लेने पर दो
गवाहों के सामने चस्था कराया गया। दिनांक 9.4.91 को नोटिस जरिए रजि०.
ए.डी. प्रेषित किये गये। डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार रजिस्ट्री लेने से मना
कर दिया जो शामिल मिला है। तत्पश्चात् दिनांक 24.4.91 को दैनिक
नव ज्योति व नवभारत टाइम्स में धारा 9 व 10 के नोटिस प्रकाशित करवाये
गये। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके
विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

सुकदमा नं०. 290/88 खसरा नं०. 81 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा खसरा नं०. 84
रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं०. 85 रकबा 10 बिस्वा, खसरानं०. 86
रकबा 1 बिस्वा,

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ग्राम मानपुर देवरो उर्फ गोल्यावास में
खसरा नं०. 81, 84, 85, 86, श्री जगन्नाथ पु. गणेश जाति हरियाणा ब्राह्मण के
नाम पर खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9-10
9 व 10 के अन्तर्गत दिनांक 31.10.90 को नोटिस जारी किये गये। तामील
कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार स्वयं खातेदार को तामील कराया गया।
बावजूद तामील नोटिस के खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए। पुनः
31.1.91 को नोटिस जारी किये गये जो दो गवाहों के सामने चस्था किये गये।
फिर भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद दिनांक 9.4.91
को रजि०. ए.डी. द्वारा नोटिस प्रेषित किये गये। डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार
लेने से मना करने पर रजि०. ए.डी. का पत्र प्राप्त हुई जो शामिल मिला है।
तत्पश्चात् नोटिस नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार पत्रों में दिनांक
24.4.91 को प्रकाशित कराये गये। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान
उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरुद्ध

एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

मुकदमा नं०. 291/88 खसरा नं०. 83 रकबा 3 बिस्वा,

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं०. 83 जगन्नाथ पु. गणेशा हि. 1/2 बद्रो चन्दाराम, नारायण श्री कृष्ण पि. शिवोबकास हि. 1/2 कौम हरियाणा ब्राह्मण सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 31.10.90 को जारी किये गये । तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार स्वयं खातेदार को तामील कराया गया फिर भी उपस्थित नहीं हुए। इसके पश्चात् दिनांक 31.1.91 को पुनः नोटिस जारी किये गये जो चम्पा से तामील हुए। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 9.4.91 को पुनः रजि०. स. डी. द्वारा नोटिस प्रेषित किये गये । डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार लेने से मना किया जो शामिल है । तत्पश्चात् नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति में दिनांक 24.4.91 को नोटिस का प्रकाशन कराया गया । इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी ।

मुकदमा नं०. 293/88 खसरा नं०. 88 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा,

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं०. 88 गेरु पु. रामनाथ हि. 1/3 रामसहाय सुआ कल्याण पिता नाथु हि. 1/3 रघुनाथ पिता. श्याला हि. 1/3 जाति हरियाणा ब्राह्मण के नाम खातेदारी में दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 31.10.90 को जारी किये गये ज्ञा तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार को तामील कराये गये। बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहे। इसके पश्चात् पुनः दिनांक 31.1.91 को नोटिस जारी किये तामील कुनिन्दा द्वारा दो गवाहों के सामने चम्पा कराये गये । इसके बाद भी हितदारान/खातेदारान उपस्थित नहीं हुए । तत्पश्चात् एक बार फिर धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 9.4.91 को रजि०. स. डी. एवं. तामील कुनिन्दा द्वारा जारी किये गये ज्ञ तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस परिवार के व्यक्त सदस्य को तामील कराये गये । डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार रजि०. स. डी. लेने से मना कर दिया जो शामिल है । अन्त में धारा 9 व 10 के नोटिस नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार पत्रों में प्रकाशन दिनांक 24.4.91 को कराये गये । इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए । अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

मुकदमा नं०. 294/88 खसरा नं०. 89 रकबा 2 बिस्वा,

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं०. 89 रकबा 2 बिस्वा नारायण गणेश पिता मोहरू हि. 1/6 कल्याण रामकिशन पिता गोविन्दा हि. 1/6 गोविन्दा पुत्र सुधा हि. 1/3 भेरू पुत्र रामनाथ हि. 1/3 हरियाणा ब्राह्मण के नाम पर खातेदारा में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत दिनांक 31.10.90 को नोटिस जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारों को नोटिस तामील कराये गये। हितदारान अनुपस्थित रहे। इस पर पुनः 31.1.91 को नोटिस जरिये तामील कुनिन्दा द्वारा जारी किये गये। जिनको तामील कुनिन्दा द्वारा दो गवाहों के समाने चस्था कराये गये इस पर भी हितधारान/खातेदारान उपस्थित नहीं हुए। पुनः धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 9.4.91 को जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार पारवार के वयस्क सदस्य को तामील कराये व राज०.रे.डी. को खातेदारान/हितदारान द्वारा लेने से मना किया। अन्त में नोटिसेज नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार पत्रों में दिनांक 24.4.91 को प्रकाशन कराय गये। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

मुकदमा नं०. 295/88 खसरा नं०. 90 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं०. 91 3 बीघा 8 बिस्वा खसरा नं०. 92 रकबा 3 बिस्वा खसरानं०. 93 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा ख. नं. 353 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा,

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं०. 90, 91, 92, व 353 पूरा काना जाति हरियाणा ब्राह्मण सा. देह. रामकिशोर रामनारायण चुन्नीलाल आनन्दीलाल गोविन्दराम पिता पूरा जाति हरियाणा ब्राह्मण सा० देह. के नाम पर खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की ~~अन्तर्गत~~ ^{धारा} 9 व 10 के अन्तर्गत दिनांक 8.11.90 को नोटिस जारी किये गये तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारों को तामील कराये गये व अध्यक्ष शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति को दो गवाहों के समक्ष चस्था कराया गया फिर भी दपवेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए। ~~इस~~ पुनः दिनांक 31.1.91 को नोटिस तामील कुनिन्दा द्वारा जारी किये गये जिनको तामील कुनिन्दा द्वारा दो गवाहों के समक्ष चस्था कराये गये बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहे। पुनः धारा 9 व 10 के नोटिस तामील कुनिन्दा द्वारा दिनांक 9.4.91 को प्रेषित किये जो तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार पूरा पुत्र काना ~~अध्यक्ष~~ अध्यक्ष शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति को दो गवाहों के समक्ष चस्था कराये गये अन्य नोटिस पारिवार के वयस्क

9/2
 1/1

सदस्य को तामील कराये व रजि० को हितदारान ने लेने से मना किया जो शामिल मिला है। अन्त में नोटिस का नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार पत्रों में दिनांक 24.4.91 को प्रकाशन कराया गया। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

मुकदमा नं०. 296/88 खतरा नं. 94 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खतरा नं०. 99 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख. नं. 111 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा खतरा नं. 115 रकबा 3 बिस्वा, ख. नं. 116 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खतरा नं०. 127 रकबा x 1 बीघा 3 बिस्वा, खतरा नं. 129 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खतरा नं. 138 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, ख. नं. 140 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, ख. नं. 142 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, ख. नं. 104 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, ख. नं. 106 रकबा 3 बिस्वा, खतरा नं०. 107 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा,

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खतरा नं०. 94, 99, 111, 115, 116, 127, 129, 130, 140, 142, 104, 106, 107, भैरु पुत्र रामनाथ हि. 1/2 मोहरू पु. बालू हि. 1/2 जाति हरियाणा ब्राह्मण सा०. देह के नाम से खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम को धारा 9 व 10 के अन्तर्गत दिनांक 8.11.90 को नोटिस जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान को तामील कराये गये फिर भी खातेदारान/दावेदारान उपस्थित नहीं हुए। पुनः दिनांक 31.1.91 को धारा 9 व 10 के नोटिस जारी किये गये तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार न लेने पर दो गवाहों के सामने चप्पा कराया गया। फिर भी खातेदार/हितदार उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात् धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 9.4.91 को रजि०. ए. डी. व तामील कुनिन्दा द्वारा जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस परिवार के वसूल्क सदस्य को तामील कराया गया व रजिस्ट्री को हितदारान ने लेने से इन्कार किया जो शामिल मिला है। अन्त में नोटिस दिनांक 24.4.91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये गये। इसके बावजूद भी खातेदार/हित उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी

मुकदमा नं०. 297/88 खतरा नं०. 95 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा,

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खतरा नं०. 95 जगदीश चौधू पिता गोप जाति हरियाणा ब्राह्मण सा०. देह के नाम पर खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम को धारा 9 व 10 के अन्तर्गत दिनांक 8.11.90 को नोटिस जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान ने लेने से मना किया

....

दो गवाहों के सामने चर्चा कराया गया फिर भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए पुनः दिनांक 31.1.91 को नोटिस धारा 9 व 10 के जारी किये तामी कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोडिस न लेने पर दो गवाहों के सामने चर्चा कराया गया । फिर भी खातेदार/हितदार अनुपस्थित रहे नोटिस धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 9.4.91 को रजि. स. डी. एवं तामील कुनिन्दा द्वारा नोटिस जारी किये गये तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार जगदीश पुत्र गोपी स्वयं को तामील कराया गया खातेदार ~~के~~ व चौथू पिता गोपी का नोटिस परिवार के वयस्क सदस्य को तामील कराया गया डाकधर को रिपोर्ट के अनुसार रजिस्टर्ड स. डी. लेने से मना किया जो शामिल मिला है। अन्त में नोटिस नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार पत्रों में दिनांक 24.4.91 को प्रकाशन कराया गया । इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहे अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

मुकदमा नं०. 298/88 ख. नं. 96 रकबा । बिस्वा,

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 96 भैरु पुत्र रामनाथ हि. 1/3 चौथू जगदीश पिता गोपी हि. 1/6 भूरा नारायण पिता महादेव हि. 1/6 जाति हरियाणा ब्राह्मण सा०. देह. के नाम पर खातेदारी में दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 8.11.90 को जारी किया गया । तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोडिस खातेदार को तामील कराया गया इसके बाद भी हितदार/खातेदार उपस्थित नहीं हुए पुनः दिनांक 31.1.91 को धारा 9 व 10 के नोटिस जारी किये गये तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोडिस न लेने पर दो गवाहों के सामने चर्चा कराया गया इसके बावजूद भी दाखेदार/खातेदार उपस्थित नहीं हुए/तत्पश्चात नोटिस धारा 9 व 10 के दिनांक 26.4.91 को जारी किये गये व रजि. स. डी. भी प्रेषित की गयी तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोडिस दाखेदार/खातेदार के परिवार के वयस्क सदस्य को तामील कराया गया व डाकधर को रिपोर्ट के अनुसार खातेदार/हितदार ने रजिस्ट्री लेने से मना किया जो शामिल मिला है । तत्पश्चात नोटिस धारा 9 व 10 दिनांक 24.4.91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में प्रकाशन कराया गया । इसके बावजूद भी खातेदार/हितदार उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में जायी गयी ।

मुकदमा नं०. 299/88 खसरा नं०. 97 रकबा 15 बिस्वा ख. नं. 133 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा,

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 97, 133, घासी पु. इयाला जाति हरियाणा ब्राह्मण सा०. देह के नाम पर खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत दिनांक 8.11.90 को नोटिस

तामिल कुनिन्दा को रिपोर्ट के अनुसार नोटिस को तामिल खातेदार से करायी गयी फिर भी खातेदार/हितदार उपस्थित नहीं हुए। पुनः दिनांक 31.1.91 को धारा 9 व 10 का नोटिस जारी किये गये तामिल कुनिन्दा को रिपोर्ट के अनुसार खातेदार/हितदाराने नोटिस लेने से मना किया व दो गवाहों के समक्ष चप्पा कराये गये। फिर भी खातेदार/हितदारान उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात दिनांक 26.4.91 को नोटिस धारा 9 व 10 के जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा को रिपोर्ट के अनुसार खातेदार के परिवार के व्यक्ति सदस्य को तामिल कराये गये व रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस भी इसी दिनांक को जारी किये गये। डाक्टर को रिपोर्ट के अनुसार खातेदार/हितदारान ने रजि. ए.डी. लेने से मना किया जो शामिल मिशाल है। इसके बाद भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात दिनांक 24.4.91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित कराये गये। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

मुकदमा नं०. 300/88 खसरा नं०. 98 रकबा 17 बिस्वा खसरा नं. 103 रकबा 1 बीघा
 x- 15 बिस्वा, रकबा 125 खसरा नं. रकबा 4 बिस्वा :- खसरा नं. 128 रकबा 2
 बीघा 17 बिस्वा ,

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 98, 103, 125, 128, स्थनाथ पु. दयाला कौम हरियाणा ब्राह्मण सां० देह के नाम पर खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रिय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत दिनांक 8.11.90 को जारी किये गये तामिल कुनिन्दा को रिपोर्ट के अनुसार नोटिस खातेदार को तामिल कराये गये बावजूद तामिल के कोई उपस्थित नहीं हुआ। पुनः नोटिस दिनांक 31.1.91 को जारी किये गये तामिल कुनिन्दा को रिपोर्ट के अनुसार नहीं लेने पर दो गवाहों के समक्ष चप्पा कराये गये। तत्पश्चात नोटिस दिनांक 26.4.91 को तामिल कुनिन्दा द्वारा प्रेषित किये गये तामिल कुनिन्दा को रिपोर्ट के अनुसार खातेदार/हितदार के परिवार के व्यक्ति सदस्य को तामिल कराये गये। रजि. ए.डी. नोटिस भी जारी किये गये डाक्टर को रिपोर्ट के अनुसार खातेदार/हितदार ने रजिस्टर्ड ए.डी. लेने से मना किया जो शामिल मिशाल है इसके बाद भी खातेदारान/हितदार=वे=रखेवहैं उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 24.4.91 को दो समाचार पत्र में दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स नोटिस का प्रकाशन कराया गया। इसके बावजूद भी खातेदार/हितदार उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

सुकदमा नं०. 302/88 खतरा नं. 101 रकबा 5 बिस्वा खतरा नं०. 102 1 बीघा 3 बिस्वा, खतरा नं०. 112 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खतरा नं०. 119 रकबा 3 बिस्वा खतरा 120 रकबा 5 बिस्वा खतरा नं०. 131 रकबा 3 बीघा :-

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खतरा नं०. 101, 102, 112, 119, 120, रामू पु. रामकिशन हि. 1/6 सु. गोमा बेवा छोटू हि 1/6 ल्यनाथ घासी पिता दयाला हि. 1/3 मैल रामनाथ हि. 1/6 मोहन पु. बालू हि. 1/6 ~~मोहन पु. बालू हि. 1/6~~ हरियाणा ब्राह्मण सा०. देह. के नाम पर खतिदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत दिनांक 8.11.90 को ^{नोटिस} जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खतिदारान को तामील कराये गये। दिनांक 22.12.90 को दावेदार रामू पु. श्री रामकिशन स्वयं उपस्थित हुआ कोम पेश कर ~~इन्हें~~ हेतु समय चाहने का निवेदन किया, समय दिया गया किन्तु आगामी तारीख पेशी पर कोई उपस्थित नहीं हुआ। पुनः 31.1.91 को नोटिस धारा 9 व 10 को जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खतिदार/हितदार ने नोटिस लेने से मना किया जो ~~दो~~ गवाहों के सामने चर्चा कराये गये, बावजूद चर्चानगी के खतिदार/हितदार उन उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात् दिनांक 26.4.91 को धारा 9 व 10 के नोटिस तामील कुनिन्दा ^{वृत्ति. 31} द्वारा प्रेषित किये गये तामील कुनिन्दा का रिपोर्ट के अनुसार परिवार के व्यक्त सदस्य को तामील कराये गये। दिनांक 24.4.91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में नोटिसों का प्रकाशन कराया गया। इसके बावजूद भी खतिदार/हितदार उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरुद्ध ~~सकतरफा~~ कार्यवाही अखिल में लायी गयी।

सुकदमा नं०. 301/88 व 304/88 खतरा नं. 100 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा ख. नं. 108 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा खतरा नं. 113 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खतरा नं. 117 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खतरा नं. 122 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा खतरा नं. 118 15 बिस्वा रकबा, खतरा नं. 130 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा खतरा नं. 135 रकबा 2 बिस्वा, ख. नं. 136 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खतरा नं. 137 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खतरा 139 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा ~~खतरा नं. 131 रकबा 3 बिस्वा~~

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खतरा नं. 100, 108, 113, 117, 118, 122, 130, 132, 135, 137, 139, ~~136~~, रामू रामकिशन हि. 1/6 सु गोमा बेवा छोटू हि. 1/6 ~~ल्यनाथ घासी पिता दयाला हि. 1/3 मैल पु. रामनाथ हि. 1/6 मोहन पु. बालू हि. 1/6~~ सा. देह. ब्राह्मण के नाम पर खतिदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के ^{नोटिस} अन्तर्गत दिनांक 8.11.90 को जारी किये गये तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस खतिदारान/को तामील कराये गये।

de
B

खातेदारान/हितदारान की ओर से केवल रामू श्याोनारायण का दत्तक पुत्र उपस्थित हुआ । क्लेम प्रस्तुत करने के लिए निवेदन किया । समय दिया गया किन्तु आगामी तिथि को कोई उपस्थित नहीं हुआ । तत्पश्चात दिनांक 31-1-91 को धारा 9 व 10 के नोटिस पुनः जारी किये तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान के नोटिस लेने से मना करने पर चर्चा कराये गये बावजूद चर्चानगी के भी बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए। पुनः दिनांक 26-4-91 को धारा 9 व 10 के नोटिस तामिल कुनिन्दा व रजि० ए० डी० द्वारा जारी किये गये तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस परिवार के वयस्क सदस्य को तामिल कराये गये व डाक्टर की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान ने रजिस्ट्री लेने से मना किया जो शामिल मिश्रल है । तत्पश्चात दिनांक 24-4-91 को दैनिक नवज्योती व नवभारत टाइम्स समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित किये गये । इसके बावजूद भी खातेदार उपस्थित नहीं हुए । अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

मुकदमा नं० 305/88 खसरा नं० 109 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा खसरा नं० 110 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा खसरा नं० 114 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा खसरा नं० 121 रकबा 3 बिस्वा •

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं० 109, 110, 114, 121 घासी पुत्र दयाला व हरसहाय गोविन्दा पिता रघुनाथ कौम हरि० ब्रा० के नाम खातेदार में दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 8-11-90 को जारी किये गये तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारों को तामिल कराये गये फिर भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए । पुनः नोटिस दिनांक 31-1-91 को जारी किये गये तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/दावेदारान नो नोटिस लेने से मना करने पर दो गवाहों के सामने चर्चा कराये गये । फिर भी दावेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए । दिनांक 26-4-91 को पुनः नोटिस धारा 9 व 10 के तामिल कुनि एंव रजि. ए० डी० द्वारा जारी किये गये । तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार के परिवार के वयस्क सदस्य को तामिल कराया गया । रजि ए० डी० खातेदारान/हितदारान के वापिस लेने से मना करने पर वापिस प्राप्त हुई जो शामिल मिश्रल है । तत्पश्चात दिनांक 24-4-91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योती समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया । इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये । अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

मुकदमा नं० 306 खसरा नं० 123 रकबा 1 बिस्वा

वे ए

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं० 123 नाथ पुत्र आनन्दा कौम हरि. ब्रा. सा. देह के नाम पर खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत दिनांक 8-11-90 को नोटिस जारी किए गए। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान को तामील कराये गये। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए। पुनः दिनांक 31-1-91 को धारा 9 व 10 के नोटिस जारी किये गये जो तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार/हितदार के नोटिस लेने से मना करने पर दो गवाहों के सामने चरफा कराये गये इसके बावजूद भी खातेदार/हितदार उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 26-4-91 को रजि. ए. डी. एवं तामील कुनिन्दा द्वारा प्रेषित किए। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस खातेदार/हितदार के परिवार के वयस्क सदस्य को तामील कराये गये। डाक्टर की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान द्वारा रजि. ए. डी. लेने से मना किया जो शामिल शामिल है। तत्पश्चात दिनांक 24-4-91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योती समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित कराये गये। इसके बावजूद भी खातेदार/हितदार उपस्थित नहीं हुआ। अतः इनके विरुद्ध एक तरफ कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नं० 307/88 खसरा नं० 124 रकबा। बिस्वा

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं० 124 नाथ पुत्र आनन्दा कौम हरि. ब्रा. के नाम पर खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय^{युन} अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 8-11-90 को खातेदार/हितदार को जारी किए गए जो तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस खातेदार को तामील कराया गया। इसके बावजूद भी खातेदार/हितदार उपस्थित नहीं हुआ। पुनः दिनांक 31-1-91 को धारा 9 व 10 के नोटिस जारी किये गये तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार/हितदार ने नोटिस लेने से मना करने पर दो गवाहों के सामने चरफा कराया गया। इसके बावजूद भी खातेदार/हितदार उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 26-4-91 को रजिस्टर्ड ए. डी. एवं तामील कुनिन्दा द्वारा प्रेषित किए किए। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस खातेदार/हितदार के परिवार के वयस्क सदस्य को तामील कराया गया। डाक्टर की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार/हितदार ने रजिस्टर्ड ए. डी. लेने से मना किया जो शामिल शामिल है। तत्पश्चात दिनांक 24-4-91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योती समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित कराया गया। इसके बावजूद भी खातेदार/हितदार उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरुद्ध एकतरफ कार्यवाही की गई।

6/2 3/1

मुकदमा नं. 308/88 खसरा नं0 126 रकबा 5 बिस्वा

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं0 126 भू पुत्र रामनाथ हि. 1/2 मोहरू पुत्र बालू हि. 1/2 रूधनाथ घासी पिता दयाला हि. 1/2 कौम हरि. ज्ञा. सा. देह. के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत दिनांक 8-11-90 को जारी किए गए जो तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान को तामील कराये गये। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए। पुनः दिनांक 31-1-91 को धारा 9 व 10 के नोटिस जारी किए गए जो तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान ने नोटिस लेने से मना किया। नोटिसेज की तामील दो गवाहों के सामने चरपा द्वारा करायी गयी। तत्पश्चात धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 26-4-91 को तामील कुनिन्दा व रजि. ए. डी. द्वारा प्रेषित किए गए। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिसेज की सामीली खातेदारान के परिवार के वयस्क सदस्य को कराये गये। डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान ने रजि. ए. डी. लेने से मना किया जो शामिल मिसल है। दिनांक 24-4-91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योती समाचार पत्र में नोटिस का प्रकाशन कराया गया इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुआ। अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मुकदमा नं0 448/88 खसरा नं. 143 रकबा 2 बिस्वा

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 143 रकबा 2 बिस्वा मोहरिगा पुत्र देवा जाति बलाई सा. देह के नाम पर खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत दिनांक 8-1-91 को नोटिस जारी किए गए। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार दो गवाहों के सामने चरपा कराया गया। इसके बाद खातेदार/हितदार उपस्थित नहीं हुआ। पुनः दिनांक 31-1-91 को धारा 9 व 10 के नोटिस जारी किए गये तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार/हितदार ने नोटिस लेने से मना किया जिस पर दो गवाहों के सामने चरपा कराया गया। फिर भी खातेदार/हितदार उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात दिनांक 26-4-91 को धारा 9 व 10 के नोटिस तामील कुनिन्दा व रजि. ए. डी. द्वारा प्रेषित किये जो तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार/हितदार के परिवार के वयस्क सदस्य को तामील कराये गये। डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार/हितदार ने रजि. ए. डी. लेने से मना किया जो शामिल मिसल है। तत्पश्चात दिनांक 24-4-91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योती

समाचार पत्रों में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन कराया गया ।
इसके बावजूद भी खातेदार/हितदार उपस्थित नहीं हुआ । अतः इनके
विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

मुकदमा नं. 449/88 खसरा नं0 144 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 144 रकबा 2 बीघा
15 बिस्वा शंकर पुत्र देवा कौम माली सा. देहके नाम खातेदारी में दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत
दिनांक 8-11-90 को जारी किया गया । जो तामील कुनिन्दा की
रिपोर्ट के अनुसार खातेदार/हितदार के नोटिस लेने से इन्कार करने पर दो
गवाहों के सामने चस्था कराया गया फिर भी खातेदार/हितदार उपस्थित
नहीं हुआ । पुनः दिनांक 31-1-91 को धारा 9 व 10 के नोटिस जारी
किये गये जो तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार/हितदार
के नोटिस लेने से मना करने पर दो गवाहों के सामने चस्था कराया गया ।
इसके बाद भी खातेदार/हितदार उपस्थित नहीं हुआ । पुनः दिनांक
26-4-91 को धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस रजि. ए.डी. एवं तामील
कुनिन्दा द्वारा प्रेषित किये तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदा
के परिवार के वयस्क सदस्य को तामील कराया गया । डाकघर की रिपोर्ट
के अनुसार खातेदार/हितदार ने रजि. ए.डी. लेने से मना किया जो शामिल
मिसल है । तत्पश्चात दिनांक 24-4-91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक
नवज्योती समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिस का प्रकाशन कराया
गया इसके बावजूद खातेदार/हितदार उपस्थित नहीं हुआ । अतः इनके
विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

मुकदमा नं0 479/88 खसरा नं0 302, रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा खसरा नं.
303 रकबा 1 बीघा खसरा नं. 304 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा खसरा
नं. 314 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं0 302, 303, 304, 314
चन्दा रामस्वरूप पिता गोविन्दा हि. 1/2 नानूराम पुत्र नाथूराम हि.
1/2 कौम खाती सा. देह के नाम पर खातेदारी में दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत
दिनांक 14-11-90 को नोटिस जारी किया गया जो तामील कुनिन्दा
की रिपोर्ट के अनुसार ~~नोटिस~~ नोटिस खातेदारान के भाई को तामील
कराया गया बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए ।
पुनः दिनांक 4-3-91 को धारा 9 व 10 के नोटिस तामील कुनिन्दा
एवं रजि. ए.डी. द्वारा जारी किए गए । रजि. ए.डी. की रसीद प्राप्त
हो गयी है । जो शामिल मिसल है । फिर भी खातेदारान/हितदारान
उपस्थित नहीं हुए । तत्पश्चात दिनांक 6-4-91 को धारा 9 व 10 के
नोटिस समाचार पत्र राष्ट्रदूत एवं दैनिक नवज्योती में प्रकाशन कराया
गया । नोटिसों के प्रकाशन के बाद खातेदारान की ओर से रामस्वरूप
उपस्थित हुआ तथा निवेदन किया कि प्रार्थी को क्लेम पेश करने का अवसर
दिया जावे । किन्तु आगामी तारीख पेशी पर भी क्लेम पेश नहीं किया
अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

मुकदमा नं० 477/88 खसरा नं० 296 रकबा 17 बिस्वा खसरा नं० 211
रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा खसरा नं० 312 रकबा 3 बीघा

धारा 9 व 10 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं० 296, 311, 312

हरला पुत्र महादेव सा. देह के नाम पर खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि
अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत दिनांक 14-11-90 को
जारी किया गया। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार के
भाई को नोटिस तामील कराया गया बावजूद इसके खातेदार/हितदार
उपस्थित नहीं हुआ। पुनः दिनांक 4-3-91 को धारा 9 व 10 के नोटिस
रजि. ए. डी. द्वारा जारी किए गए जिनकी रसीदे प्राप्त हो चुकी है जो
शामिल मिसल है। इसके बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए।
तत्पश्चात दिनांक 6-4-91 को धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन
समाचार पत्र राष्ट्रदूत व दैनिक नवज्योती में कराया गया। इसके पश्चात
दिनांक 9-5-91 को दावेदार हरला पुत्र महादेव की ओर से सीताराम उपस्थित
हुआ तथा निवेदन किया कि क्लेम पेश करने के लिए अक्सर दिया जाये। अक्सर
दिया गया। इसके बावजूद खातेदारान/हितदारान की ओर से ना कोई
उपस्थित हुआ और ना ही कोई क्लेम पेश किया अतः इनके विरुद्ध एकतरफा
कार्यवाही अमल में लाई गई।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत उपरोक्त
मुकदमा त सार्वजनिक नोटिस भी दिनांक 29-4-91 को जारी किया गया जो
तामील कुनिन्दा द्वारा सम्बन्धित तहसील पंचायत समिति नोटिस बोर्ड ग्राम
पंचायत व सरपंच को दिये गये व चरपा कराया गया।

मुआवजा निर्धारण :-

जैसा कि पृथ्वीराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प-68/158 नविआ/87
दिनांक 1-1-89 द्वारा मुआवजा की राशि निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार
द्वारा कमेटी का गठन शासन सचिव राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया
था। लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में से किसी
भी ग्राम में मुआवजा की राशि का निर्धारण नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध
में यह अज्ञेय है कि इनके दिनांक 1-1-89 द्वारा शासन सचिव
द्वारा कमेटी का गठन राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था।
लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में से किसी
भी ग्राम में मुआवजा की राशि का निर्धारण नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध
में यह अज्ञेय है कि इनके दिनांक 1-1-89 द्वारा शासन सचिव

de 81

किया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है ।

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी खातेदार को बुलाकर नेगोशिएशन नहीं किया गया है ।

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजे निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किये है उनमें कृषि भूमि के मुआवजे के निर्धारण का तरीका धारा-4 के गजट नोटिफिकेशन के समय रजिस्ट्रीयों द्वारा उस क्षेत्र में पंजीयक दर के अनुसार निर्धारण माना गया है । पृथ्वीराज नगर योजना में धारा 4 का गजट नोटिफिकेशन वर्ष 88 को हुआ था {7-7-88} इसलिए विभिन्न माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष में 7 जुलाई 1988 को विभिन्न उप पंजीयकों को यहाँ पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों के रजिस्ट्रेशन की दर क्या थी उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है ।

जहाँ तक उपरोक्त धारा नम्बर के खातेदारान/हितदारान को मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है उपरोक्त सभी मामलों में एक तरफा कार्यवाही होने के कारण एवं खातेदारान/हितदारान द्वारा कोई क्लेम पेश नहीं करने के कारण खातेदारान/हितदारान की ओर से मुआवजे की राशि की मांग का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्त के अनुसार इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण, जिसके लिए भूमि अवाप्ति की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया । जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव ने पत्र क्रमांक टी.डी. अ २१।/336 दिनांक 3-6-91 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोत्यावास में 15,300/-रूपये प्रति बीघा की दर से पंजीयन हुआ था जिसलिए जहाँ तक उनके पक्ष का सम्बन्ध है यह दर उचित है ।

OC

हमें इस सम्बन्ध में उप पंजीयक एवं तहसीलदार तहसील सांगानेर के यहाँ से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी । तहसीलदार जयपुरा प्रथम ने अपने यू.ओ. नोट दिनांक 8-5-91 द्वारा उप पंजीयक सांगानेर के यहाँ भी धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर यह बताया है ।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आस-पास की भूमि की मुआवजा राशि 24000/- रूपये प्रति बीघा की दर से अवाई जा किये गये एवं जिनका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है

जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के.पी. मिश्रा ने कोई लिखित से उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया है कि यदि मुआवजा राशि 24000/- प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जविप्रा को कोई आपा नहीं होगी। क्योंकि कुछ समय पूर्व इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आस-के क्षेत्र में 24000/- रुपये प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किये गये हैं।

अतः इस मामले में भी इस भूमि की मुआवजा राशि 24000/- रुपये प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते हैं एवं हम भी यह मानते हैं कि धारा 9 गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवार्ड पारित करने के लिए दो वर्ष की समयावधि नियत है लेकिन खातेदारान/हितदारान को धारा 9 के नोटिस तामील कुनिन्दा रजि.ए.डी. एवं समाचार पत्र में प्रकाशन के बाद उपस्थित नहीं होना व क्लेम पेश नहीं करना इस बात का द्योतक है कि वे अप कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहते इसलिए एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई

जेंहा तक पेड़-पौधे सड़क, कुएँ एवं भूमि पर स्थित ~~जो~~ स्ट्रेक्चर का प्रश्न है खातेदारान द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित तकमीने पेश नहीं किये गये हैं ऐसी स्थिति में स्ट्रेक्चर ~~यदि कोई हो~~ के मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है। इसका निर्धारण बाद में जविप्रा से तकनीकी अनुमोदित तकमीने प्राप्त होने पर विचार करके नियमानुसार निर्धारण किया जावेगा।

हम इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो 24000/- रुपये प्रति बीघा की दर से करते हैं लेकिन मुआवजे का भुगतान विधिक रूप से मालिकाना हक संबंधी दस्तावेजाता पेश करने पर ही किया जायेगा। मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट "ए" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है के अनुसार निर्धारित कि जा रहा है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(1)-ए एवं 23(2) के अंतर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30% सोलिडिफिकेशन एवं 12% अतिरिक्त राशि भी देय होगी। जिसका निर्धारण परिशिष्ट "ए" में केंद्र मुआवजे की राशि के साथ दर्शाया गया है।

अतिरिक्त निदेशक ~~प्रथम~~ एवं सक्षम अधिकारी नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31-5-91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया गया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुलन सीमा में सम्मिलित है एवं अक्सर अधिनियम से प्रभावित है लेकिन उन्होंने यह सूचना नहीं दी है कि अक्सर अधिनियम 1986 की धारा 10(3) की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे हैं।

यह अवार्ड आज दिनांक 13-6-91 को पारित कर राज्य सरकार को

अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है।

[Handwritten signature]

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास विभाग

भूमि अवाप्ति अधिकारी,
नगरविकास परियोजनाएं, जयपुर

[Handwritten signature]

संलग्न:- परिशिष्ट "ए" गणना तालिका.

[Handwritten signature]

मह. अवाप्ति आगत दिनांक 25-7-91 को रोजगार कार्यालय के पास प्रेषित हुए 6 (15) नवंबर का 87/ पाट दिनांक 25/7/91 के द्वारा आदेशित होकर पाट हुआ।


मह. अवाप्ति आगत दिनांक 25/7/91 को नगर विकास विभाग के पास प्रेषित किया गया था। इस अवाप्ति के लिए जो कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जावे।

इस अवाप्ति के लिए एक-एक पाट निशुल्क की जाकर 12(2) के तहत जारी की जाएगी।

[Handwritten signature]
जयपुर

- 70 -
पॉलीग्राउंड"स" कम्पा गोखला ग्राम -मानपुर देवरी जिला गोखलावाडी

क्र.सं	मु.0 नं०	नाम जालेदार/वित्तदार	अ.नं०	होम जगती वा जा रकवा	मुजाबजे को दर प्रति बीघा	मुजाबजे का राशि	जोडेसिक्का 302	जोतरका राशि28	कुलजोड
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	488/88	जोतर लोहन मानवा	228	2-13	24000/-	234000/-	70200/-	82430/-	306630
		पिता मोहन कौम हीर.	229	0-14					
		ब्राह्मण	231	1-11					
			243	1-02					
			332	3-15					
2.	476/88	कल्याण पुत्र परतापिह. 1/2	295	3-15	24000/-	178800/-	53640/-	82991/-	295431
		रामली देवा राजूहि. 1/2	310	3-14					
		कौम जाती ता०देह		7-09					
3.	488/88	बुआ कल्याण पिता नागू2/3	354	00-17					
		हनुमानपुत्र रामसहाधीह. 1/35357	357	00-03					
		कौम हीर. जाह	358	00-02					
			359	2-10					


 बि.ए.डी.
 मानपुर

द्रममा: 2पेज पर

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			375	5-00					
				5-12	24000/-	208400/-	61920/-	72715/-	341035/-
4.	289/88	श्री कक्षा सपना रा. क.	79	4-16					
		श्री कक्षा सपना रा. क.	30	3-10					
		रा. क. कौम. क.	82	0-01					
			209	0-11					
			211	0-07					
			212	6-15					
			213	0-03					
			214	0-03					
			400	0-02					
			409	20-05					
				36-13	24000/-	679600/-	263880/-	309683/-	140300/-
5.	290/88	जगन्नाथ पुत्र गणेश कौम	81	2-02					
		हीरो मा. क.	84	2-15					
			85	0-10					
			86	0-01					
				5-08	24000/-	129600/-	38880/-	45658/-	214138/-

वे. क.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.	291/88	जन्माय पुत्र गणेशादि 1/2 श्री गणेशाय नारायण गोविन्दराय गणेश दि. 1/2 कौम हारो प्राजादेह	88	8-18 0.03	29000/- 27000/-	6800/-	1000/-	1200/-	3740/-
7.	293/88	श्री गणेशाय नारायण गोविन्दराय गणेश दि. 1/3 कौम हारो प्राजादेह	89	2-14	24000/-	6400/-	19440/-	22829/-	10706/- 7988/-
8.	294/88	श्री गणेशाय नारायण गोविन्दराय गणेश दि. 1/3 कौम हारो प्राजादेह	89	0-02	24000/-	2400/-	720/-	846/-	3766/-
9.	295/88	श्री गणेशाय नारायण गोविन्दराय गणेश दि. 1/3 कौम हारो प्राजादेह	90	2-13	24000/-	63000/-	19000/-	22406/-	105086/-

acc 3/


1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		जीम हांश काठ काठ देह	353	7-01 ==== 13-15 =====	24070/-	651200/-	49560/-	115582/-	347242/-
10.	296/80	मै. पुत्र. रामनाथ वि. 1/2	94	1-12					
		मै. पुत्र. बाबू वि. 1/2 जीम	99	1-12					
		हांश काठ काठ देह	111	3-13					
			115	0-03					
			116	2-10					
			127	1-03					
			129	1-04					
			130	2-09					
			140	1-14					
			142	4-05					
			104	4-02					
			106	0-03					
			107	3-02					
				=====					

बल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			जोय. = 24 =	24-14 =====	24000/-	692000/-	177040/-	200043/-	979433/-
11	297/88	जगदीश कृष्ण चौधू पिता गोपा लौम होर. प्रा. जा. देह	95	1-06	24000/-	31200/-	9080/-	10992/-	31552/-
12	298/88	मे. पुत्र रामनाथ दि. 1/3 जगदीशचौधू पिता गोषो दि. 1/6 भुरो नारा. पिता महादेव लौ. होर. प्रा. जा. देह	96	0-01	24000/-	1200/-	357/-	425/-	9033/-
13	299/88	गो. पुत्र राजा लौम होर. प्रा. जा. देह	97	0-15 3-09 =====	24000/-	100000/-	30240/-	35512/-	136552/-

र. ल.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
14.	300/80	रामाथ पुत्र इयाता कौम	98	0-17					
		हीरा ब्राह्म जादेव	103	1-13					
			125	0-04					
			120	2-17					
				5-13	24000/-	105600/-	43650/-	41172/-	224002/-
15.	302/00	रामु पुत्र रामकृष्ण गिह. 1/6	101	0-00					
		मु. गोमा बेवा छोट्ट गिह. 1/6	102	1-03					
		रामाथ पाती पिता इयाता	112	2-10					
		गिह. 1/3 मेरु पुत्र रामनाथ गिह. 119		0-00					
		1/6 गोट्ट पुत्र बाबू गिह. 1/6	120	0-00					
			131	0-03					
				4-09	24000/-	106800/-	32040/-	37626/-	176466/-
						106800/-	32040/-	37626/-	176466/-
16.	301/88	रामु पुत्र राम कृष्ण	100	1-13					
		गिह. 1/2 मु. गोमा बेवा	108	2-07					
		छोट्ट गिह. 1/2 कौम	113	4-09					
		हीर. ब्राह्मता जादेव	117	1-12					
			118	0-15					


 श्री. रामकृष्ण जादेव
 वरिष्ठ लिपिकार
 जयपुर

प्र मशा:7 पेज पर

----- 1. ----- 2. ----- 3. ----- 4. ----- 5. ----- 6. ----- 7. ----- 8. ----- 9. ----- 10. -----

304/3

~~110~~ ~~10~~
 122 1-01
 130 1-01
 133 0-12
 135 1-09
 137 2-14
 139 1-07

ec 87

सहाय माती पिका काला
 डि. 1/जेर पुत्र रामना माटे.
 डि. 1/5 मोड्य पुत्र बाळु डि. 1/6
 हीर. प्राणा ता. देह

134 ~~2-06~~
 10-10'

24000/-

~~117000/-~~
 444000/-

~~101250/-~~ ~~107000/-~~ ~~733621~~
 133200/- 156421/- 733621

17.

305/33

भाती पुत्र दयाला व हर
 सहाय गोपिन्दा पुत्र कौम
 हीर. प्राणा ता. देह

109 1-09
 110 1-13
 114 2-07
 121 0-00

5-12

24000/-

134400/-

40320/- 47349/- 222069/-

18.

306/33

रामविष्णु पुत्र रोडू कौम
 हीर प्राणा

123 00-01

24000/-

1200/-

360/- 423/- 1983/-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
19.	307/30	नाथु पुत्र जगन्नाथ कौम होर प्रान्त साठदेह	124	0-01	24000/-	1200/-	600/-	420/-	1950/-
20.	308/30	शैल पुत्र रामनाथ वि. 1/2 गोहर पुत्र भा. पु. वि. 1/2 रामनाथ गली पिता दयाल वि. 1/2 कौम होर प्रान्त साठदेह	126	0-02	24000/-	6000/-	1000/-	2114/-	9914/-
21.	448/30	मोहीरवा पुत्र देवा कौम जाति बलार्ह साठ देह	146	0-02	24000/-	2400/-	720/-	846/-	3966/-
22.	449/30	शंकर पुत्र देवा कौम माली साठदेह	144	2-18	24000/-	60000/-	19000/-	23252/-	109052/-
23.	479/30	जन्दा राम स्वल्प गोपिन्दा पिता हरला वि. 1/2 नानुराम पुत्र नानुराम वि. 1/2 कौम खाली साठदेह	302 303 304 314	3-10 1-00 1-11 3-11					
				10-00	24000/-	240000/-	72000/-	84552/-	396552/-

ae ay


प्रमथा: 9 पेज पर

78- : : : :

	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
00.	077/88	हरला बुद्र. गड देवा	295	3-17					
		कौम आती	331	3-16					
			312	3-00					
				9-13	24000/-	231600/-	69400/-	1593/-	382673/-

नोट:- 1. लोलेषियम कौसम ~~नस्वर~~ ~~हपर~~ है = 100% का रम 6 पर मुआवजा राशि पर दिया गया है ।

2. जीती रक्त राशि 12% की गणना धारा-41 का गण्ट दिनांक 7-7-88 से 136-91 तक की गई है


 भूमि अवाप्ति अधिकारी
 भूमि विकास विभाग
 जयपुर
 नगर विकास योजनाएं जयपुर ।

